राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1871/2023

इन्द्रा बाघ —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीएचईडी हैड ऑफिस कैम्पस, जयपुर।
3. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहर उपखण्ड–I, केसरगंज, अजमेर।
4. निदेशक, निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.07.2023
आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के पति स्व. श्री अर्जुन सिंह की नियुक्ति हेल्पर के पद पर दिनांक 07.10.1978 को हुई थी तथा उसके पश्चात अपीलार्थी के पति स्व. श्री अर्जुन सिंह आदेश दिनांक 19.09.1991 द्वारा फिटर ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति की अनुमति दी गई। तत्पश्चात, परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में अपीलार्थी के पति स्व. श्री अर्जुन सिंह को आदेश दिनांक 25.08.1998 द्वारा 4000–6000 रूपये के वेतनमान में द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया गया, जो 07.10.1996 को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर लागू होगा (अनुलग्नक–ए/2)। आदेश दिनांक 21.02.2006 के अनुसार अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उसी वेतनमान यानी 4000–6000 रुपये में तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 07.10.2005 से दिया गया, जो अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह पहले से ही प्राप्त कर रहे थे (अनुलग्नक–ए/3)। अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह को दिनांक 30.11.2008 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया (अनुलग्नक–ए/4)। अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह कानूनी तौर पर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 5000–8000 रुपये पाने का

हकदार था और इसलिए अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 414/2019 दायर, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 (अनुलग्नक–ए/5) द्वारा अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 और 17.02.1998 के पैरा 5 के अनुसार अगला उच्च वेतनमान 5000–8000 रुपये की अनुमति देने का निर्देश दिया। दिनांक 27.08.2019 के निर्णय के अनुसरण में प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 17.06.2021 (अनुलग्नक–ए/6) द्वारा अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह के तृतीय चयनित वेतनमान के लाभ को संशोधित किया गया था और उन्हें 07.10.2005 से 5000–8000 रुपये का वेतनमान दिया गया था और तदनुसार आदेश दिनांक 13.09.2021 (अनुलग्नक–ए/7) द्वारा अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह के पक्ष में 30.11.2008 तक उनकी कुल सेवानिवृत्ति 19845/– रुपये की बकाया राशि भी जारी की गई। अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह को वेतनमान 5000–8000 रुपये के वेतनमान में तृतीय चयनित वेतनमान के संशोधन के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या–3 ने प्रत्यर्थी संख्या 4 पेंशन विभाग को दिनांक 18.02.2022 को एक पत्र जारी कर तदनुसार पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित करने के लिए कहा। प्रत्यर्थी संख्या 4 पेंशन विभाग ने पत्र दिनांक 14.03.2022 (अनुलग्नक–ए/8) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय से कर्मचारी का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र भेजने को कहा ताकि पेंशन संशोधित की जा सके। प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय ने पेंशन को संशोधित करने के लिए पेंशन विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेज भेजने के साथ पत्र दिनांक 23.03.2022 (अनुलग्नक–ए/9) द्वारा बताया कि अभी भी प्रत्यर्थी संख्या ने अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित नहीं किया है। अपीलार्थी के पति स्व. श्री अर्जुन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 02.04.2023 को हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग के पास सभी सेवानिवृत्ति लाभों अर्थात पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ और तदनुसार संशोधित करने का कानूनी दायित्व है। अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह की मृत्यु की सत्य प्रतिलिपि, छुट्टी नकदीकरण लाभ का प्रमाण पत्र अनुलग्नक–ए/10 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश किया जावे कि अपीलार्थी के पति स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह को एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 414/2019 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 के अनुसरण में तृतीय चयनित वेतनमान के संशोधन अनुसरण में संशोधित पीपीओ, जीपीओ,

सीपीओ और अवकाश नकदीकरण लाभ जारी करे और प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी की पारिवारिक पेंशन को संशोधित करने का भी निर्देश दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पति श्री अर्जुन सिंह की प्रथम नियुक्ति सहायक के पद पर 07.10.1978 को वेतन श्रृखंला 250–360 में न्यूनतम वेतन 250 पर की गई। कर्मचारी की पदौन्नति फिटर के पद पर 19.09.1991 को की गई। इसकी पालना में कर्मचारी द्वारा दिनांक 25.09.1991 को मध्यान्ह पूर्व फिटर का कार्यभार संभाला। अधीक्षण अभियंता वृत्त अजमेर के आदेश दिनांक 25.08.1998 के द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृखंला 4000–6000 में दिनांक 07.10.1996 को मूलवेतन 4000/– पर निर्धारित किया जा कर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। दिनांक 07.10.2005 को कर्मचारी की सेवा 27 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप वेतन श्रृखंला 4000–6000 में मूलवेतन 5100/– वेतन निर्धारण किया गया। कर्मचारी दिनांक 30.11.2008 को फिटर द्वितीय के पद से सेवानिवृत हुआ। कर्मचारी द्वारा दायर याचिका एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 414/2019 में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट बेन्च जयपुर के निर्णय दिनांक 27.08.2019 की पालना में कर्मचारी को दिनांक 07.10. 2005 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतनमान 5000–150–8000 में वेतन निर्धारण किया जा कर दिनांक 07.10.2005 को वेतन 5150/– नियत किया गया एवं आदेश दिनांक 13.09.2021 के द्वारा वेतन अन्तर राशि 19845/– की स्वीकृति जारी कर भुगतान किया गया। कर्मचारी का उपरोक्तानुसार संशोधित 27 वर्षीय प्रकरण एवं संशोधित वेतनमान नियम 2008 के तहत् संशोधित कर संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.11.2021 के द्वारा भिजवाया गया। जिस पर पेंशन विभाग के पत्र दिनांक 14.12.2021 के द्वारा आक्षेप लगाये गये, उक्त आक्षेपो की पूर्ति कर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.01.2022 द्वारा पुनः पेंशन विभाग को प्रकरण भिजवाया गया। पेंशन विभाग द्वारा पुनः पत्र दिनांक 04.02.2022 द्वारा आक्षेप लगाये गये उक्त आक्षेपो की कर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.02.2022 द्वारा पुनः पेंशन विभाग को संशोधित पेंशन हेतु प्रकरण भिजवाया गया। पेंशन विभाग द्वारा पुनः इनके पत्र दिनांक 14.03.2022 द्वारा आक्षेप लगाया गया। उक्त आक्षेप की पूर्ति कर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा पुनः पेंशन विभाग को संशोधित पेंशन हेतु प्रकरण भिजवाया गया। उक्त आक्षेप की पूर्ति के पश्चात् पेंशन विभाग द्वारा उक्त संशोधित पेंशन प्रकरण पर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगाया गया एवं पेंशन विभाग के पत्र दिनांक 02.05.2022 द्वारा कार्मिक की सेवा पुस्तिका इस

कार्यालय में दिनांक 11.05.2022 को लौटाई गई। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 414/2019 में पारित निर्णय के क्रम में तृतीय चयनित वेतनमान संशोधित कर दिया एवं वेतन नियतन भी कर दिया है। यह स्थिति निर्विवाद है परन्तु इसके अनुरूप अपीलार्थी के सेवानिवृत्ति परिलाभ स्वीकृत नहीं किए गए थे। अपील में पीपीओ, सीपीओ एवं जीपीओ के तद्नुसार संशोधन करने एवं तद्नुसार पारिवारिक पेंशन संशोधित करने, बकाया पेंशन राशि का भुगतान एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के संबंध में संशोधित पीपीओ/सीपीओ पेंशन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभागों को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के पीपीओ, सीपीओ एवं जीपीओ को एक माह की अवधि में संशोधित किया जाकर संशोधित पीपीओ/सीपीओ के अनुरूप अपीलार्थी को नियमित रूप से संशोधित पेंशन का भुगतान किया जावे। अपीलार्थी को देय बकाया पेंशन राशि का भुगतान भी दो माह की समयावधि में 9 प्रतिशत ब्याज सहित करना सुनिश्चित किया जावे एवं बकाया अवकाश नकदीकरण का भुगतान भी तद्नुरूप किया जावे। उक्त निर्देशों के साथ ही अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य